विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। 31 मार्च 2011, तक बिहार राज्य में 25 कार्यशील (21 कम्पनियाँ तथा चार सांविधिक निगम) एवं 40 अकार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों (सभी कम्पनियाँ) थे जिनमें 0.19 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों ने 2010–11 में ₹ 4031.46 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। यह आवर्त राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.89 प्रतिशत था। 30 सितम्बर 2011 तक अंतिमिकृत लेखों के अनुसार सा0क्षे0 उपक्रमों की संचित हानि ₹7212.86 करोड़ थी।

सा0क्षे0 उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2011 को, 65 सा0क्षे0 उपक्रमों में ₹ 10865.23 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था । 2010–11 में कुल निवेश का 82.73 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में था। 2010–11 में, सरकार ने ₹ 2024.48 करोड़ पूँजी, ऋण और अनुदान/साहाय्य के लिए दिये।

स0क्षे0 उपक्रमों का निष्पादन

अद्यतन अंतिमिकृत किए गए लेखों के अनुसार, 25 कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों में से 10 सा0क्षे0 उपक्रमों ने ₹ 89.80 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 11 सा0क्षे0 उपक्रम को ₹ 1383.23 करोड़ की हानि हुई। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 45.08 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 23.99 करोड़) मुख्य थे। अधिक हानि वहन करने वालों में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 1294.98 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 55.74 करोड़) थे।

लेखापरीक्षा द्वारा सा0क्षे0 उपक्रमों के कार्यकलापों में कई कमियाँ पायी गयीं। सी0ए0जी0 के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों ने, उनके वित्तीय प्रबन्धन, योजना एवं कार्यान्वन में कमियों के कारण ₹ 1539.24 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 28.94 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा।

लेखों की गुणवत्ता

सा0क्षे0 उपक्रमों के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2010–11 में सभी 30 कम्पनियों के लेखों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिले। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 16 लेखों में लेखांकन मानकों के उल्लंघन संबंधी 26 उदाहरण पाए गए।

बकाया लेखे एवं समापन

30 सितम्बर 2011 तक 25 कार्यकारी सा0क्षे0 उपक्रमों के 186 लेखे बकाया थे। बकाया लेखों की अवधि एक से 21 वर्षों तक थी। यहाँ 40 अकार्यशील सा0क्षे0 उपक्रम थे, जिनमें सात समापन की प्रक्रिया में थे।

(अध्याय – I)

2. सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

'बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् है:

परिचय

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमीकरण अप्रैल 1973 में हुआ। कम्पनी का क्रियाकलाप सरकारी योजना के तहत खाद्यान्नों के उठाव व उनका वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना (न्यू0स0मू0) के अन्तर्गत अनाजों की अधिप्राप्ति, तरल पेट्रोलियम गैस केन्द्रों का परिचालन, लेवी चीनी का वितरण और अनाजों का जेल में आपूर्ति तक विस्तारित था। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसकी अवधि 2006–11 है, में देखा गया कि कम्पनी अपनी निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्यों को प्रभावकारी एवं कुशलता के साथ क्रियान्वित कर रही है या नहीं एवं क्या ये निर्धारित क्रिया–विधि के अनुरूप है।

राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में वर्ष 2007–11 की अवधि में, गेहूँ की खरीद में इसके हिस्सेदारी का परास 14.29 प्रतिशत से 14.71 प्रतिशत के बीच तथा धान की खरीद में इसके हिस्सेदारी का परास 7.84 प्रतिशत से 10.71 प्रतिशत के बीच था। वर्ष 2006–11 की अवधि में गेहूँ एवं चावल की अधिप्राप्ति के विरूद्ध विविध योजनाओं के अन्तर्गत वितरण 99.94 प्रतिशत था।

अधिप्राप्ति

कम्पनी ने 2006–11 की अवधि में निर्धारित धान की खरीद के लक्ष्य के विरूद्ध 11.25 प्रतिशत से 87.20 प्रतिशत की अधिप्राप्ति की। गेंहूँ के मामले में, वर्ष 2006–11 के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अधिप्राप्ति 15.30 प्रतिशत तथा 68.56 प्रतिशत के बीच रहा। तथापि वर्ष 2010–11 की अवधि के लिए धान एवं गेहूँ की खरीद लक्ष्य के विरूद्ध अधिप्राप्ति 20 प्रतिशत से कम था। अधिप्राप्ति मौसम के आरंभ से पूर्व अधिप्राप्ति केन्द्रों तथा किसानों की पहचान के लिए कोई योजना नहीं थी। विभिन्न डी0एल0ओ0 द्वारा कम्पनी के अधिप्राप्ति क्रियाकलापों के अनुरक्षण हेतु कम्पनी द्वारा कोई व्यवस्था नहीं थी। एस0जी0आर0वाई0 के तहत अनाजों के उठाव नहीं होने के कारण डी0एल0ओ0 गया में ₹ 81.27 लाख की राशि अवरूद्ध रही।

भण्डारण प्रबंधन

कम्पनी के पास 387 गोदाम थे जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 1.35 लाख एम0टी0 थी। वर्ष 2006–11 के दौरान कम्पनी ने जमुई में मात्र एक छोटा गोदाम(1000 एम0टी0 क्षमता) का निर्माण किया।

सरकार द्वारा 47000 एम0टी0 क्षमता के निर्माण के निर्णय (सितम्बर 2008) के अनुसरण में कम्पनी ने ₹ 33.48 करोड़ का प्राक्कलन उपस्थापित किया। न तो कम्पनी द्वारा इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही हुई और न ही सरकार द्वारा भण्डारण क्षमता में वृद्धि के लिए अभी तक कोई कार्यवाही की गई। (नवम्बर 2011)।

45,250 एम0टी0 क्षमता के 44 चिह्नित क्षतिग्रस्त गोदामों को ₹ 4.32 करोड़ की मरम्मती लागत पर मरम्मती कर उपयोग में लाने के सरकार का निर्णय (जुलाई 2008) कारगर नहीं हो सका क्योंकि मरम्मती कार्य अधूरा था यद्यपि कम्पनी ने 4400 एम0टी0 क्षमता के पाँच गोदामों की मरम्मती हेतु ₹ 7.86 लाख निर्गत किया। शेष 39 गोदामों की मरम्मती नहीं हुई थी (नवम्बर 2011) तथा कम्पनी 45250 एम0टी0 भण्डारण क्षमता का निर्माण नहीं कर सकी थी।

अतिरिक्त 3800 एम0टी0 क्षमता के निर्माण हेतु 38 अपना क्षतिग्रस्त/अपूर्ण गोदाम की मरम्मती मार्च 2009 से लम्बित थी।

वर्ष 2008–10 के दौरान दो डी0एल0ओ0 यथा भोजपुर और नालंदा द्वारा खरीदा गया 21,243 क्विंटल धान में से 16,169.06 क्विंटल धान, जिसका मूल्य ₹ 1.47 करोड़ था, कूटे जाने के लिए मिल में 30 महीनों से पड़ा रहा जिसके परिणामस्वरूप निधि अवरूद्ध हुआ तथा धान की गुणवत्ता में गिरावट आने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

परिवहन एवं हथालन

कम्पनी द्वारा जिला प्रशासन के प्रभावकारी अनुसरण के अभाव में नौ डी0एल0ओ0 के मामले में मई 2011 तक परिवहन एवं हथालन शुल्क और परिणामी ब्याज हानि के मद में ₹ 20.08 करोड़ का अवरुद्धीकरण हुआ।

वर्ष 2006–08 के दौरान मधुबनी एवं अररिया में परिवहन अभिकर्ताओं द्वारा समय पर आवश्यकता के अनुरूप ट्रक नहीं उपलब्ध कराने पर 7.76 लाख क्विंटल अनाज व्यपगत हो गए जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 2.38 करोड़ अंशदान मार्जिन की हानि हुई तथा कम्पनी लक्षित लाभान्वितों को अनाज की आपूर्ति नहीं कर सकी।

वितरण

वर्ष 2006–11 के दौरान विविध योजनाओं के अन्तर्गत 68.72 लाख एम0टी0 खाद्यान्न के कम उठाव के कारण, कम्पनी को ₹ 203.45 करोड़ के मर्जिन मनी से वंचित रहना पड़ा।

कम्पनी में खाद्यान्न का, एक योजना से दूसरे योजना में बिना समान मात्रा के मूल योजना में वापसी किए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लक्षित लाभान्वितों योजना के अन्तर्गत वांछित लाभ से वंचित न हुए हों, विचलन हुआ । विचलन के परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 25.74 करोड़ का लाभ हुआ तथा ₹ 25.53 करोड़ की हानि भी हुई।

कम्पनी को 3346 क्विंटल लेवी चीनी का समय पर निपटान नहीं होने के कारण ₹ 52.11 लाख की हानि उठानी पड़ी।

किशोर बालिका आहार (एन0पी0ए0जी0) योजना के तहत गया जिला में वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में क्रमशः 85.06 प्रतिशत और 37.07 प्रतिशत लाभान्वितों को लाभ नहीं पहुँचा।

भुखमरी से बचाव हेतु प्रति पंचायत एक क्विंटल अनाज बाँटें जाने की सरकारी योजना के कार्यान्वयन हेतु, कम्पनी के कार्य–योजना के अभाव के कारण डी0एल0ओ0, नालंदा द्वारा 104 क्विंटल गेंहूँ निर्गत नहीं की जा सकी।

डी0एल0ओ0, नवादा में अप्रैल 2010 से मई 2010 के बीच एम0डी0एम0 योजना के तहत 599.60 क्विंटल चावल का निर्गमन नही हुआ जिसका योजना के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

कम्पनी ने अपनी गतिविधियों को तरल पेट्रोलियम गैस (एल0पी0जी0) के वितरण से विस्तारित किया जिसके लिए कम्पनी को आई0ओ0सी0एल0 से प्रति सिलिन्डर ₹ 22.17 का मार्जिन मिल रहा था। वर्ष 2006–11 की अवधि में कम्पनी द्वारा रिफिल बेचने का वार्षिक औसत एक से कम था एवं कम्पनी के समग्र निष्पादन में अवनति हुआ तथा अंशदान मार्जिन की हानि हुई।

वित्तीय प्रबन्धन

परिचालन व्यय के वहन हेतु 2002 में अनुमोदित अंशदान मार्जिन, 2002 की तुलना में 2010–11 में परिवहन एवं हथालन लागत में भारी वृद्धि के बावजूद, नौ वर्षों से संशोधित नहीं किया गया था। वर्तमान मर्जिन ₹ 21 से ₹ 35 प्रति क्विटंल में वृद्धि (नवम्बर 2009) कर इसे ₹ 45 प्रति क्विटंल करने का प्रस्ताव अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ था जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी वर्ष 2009–11 के दौरान ₹ 84.02 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी। आगे कम्पनी ने सभी योजनाओं के लिए मार्जिन मनी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया (फरवरी/मार्च 2011) जिस पर निर्णय सरकार के पास लम्बित था (नबम्बर 2011)।

चीनी की अधिप्राप्ति मूल्य तथा बिक्री मूल्य के अन्तर की प्रतिपूर्ति एफ0पी0एस0 डीलर को, सरकार द्वारा मार्जिन के अनुमोदित दर से, किया जाता है। उपभोक्ता मामले तथा जनवितरण मंत्रालय द्वारा वांछित प्रस्ताव की प्राप्ति पर मार्जिन में वार्षिक संशोधन का मानक निर्धारित है। अक्टूबर 2005 से स्वीकार्य मार्जिन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। यद्यपि, कम्पनी ने मूल्य समानीकरण हेतु मार्जिन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया (दिसम्बर 2006), यह राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित था (नबम्बर 2011)।

प्रमाणिक प्रमाण पत्रों के अभाव में एफ0सी0आई0 को प्रस्तुत सितम्बर 2006 से मार्च 2007 की अवधि का ₹ 3.43 करोड़ की राशि के विशिष्ट चीनी मार्जिन का दावा स्वीकार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा उनके डी0एल0ओ0 से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अगस्त 2009 से नवम्बर 2010 की अवधि का ₹ 68.24 करोड़ का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था (नवम्बर 2011)।

मानव संसाधन तथा आन्तरिक नियंत्रण

कुल कार्यरत कर्मचारी की संख्या 31.01.2011 को 1040 थी।

2006–11 के दौरान लेखा कर्मचारी एवं स0गो0प्र0 की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी के लेखे वर्ष 1990–91 से बकाए में थे।

कम्पनी ने लेखे और आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमावली तैयार नहीं किए थे।

वर्ष 2009–10 तक के तैयार आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को कम्पनी के निदेशक पर्षद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे कम्पनी के हित के मामले में न्यूनताओं का निपटाव किया जा सके।

31 मार्च 2011 तक खाद्यान्न में कमी के लिए 257 कर्मचारी उत्तरदायी ठहराए गए थे। अनाज की कमी के मद में ब्याज सहित, कुल ₹ 29.94 करोड़ के दावे में से ₹ 5.73 करोड़ की वसूली हुई थी तथा ₹ 24.21 करोड़ की राशि वसूल की जानी थी।

व्यवसायिक क्रियाकलापों का कम्प्यूटरीकरण

कम्पनी ने अपने व्यवसायिक क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय (मार्च 2007) लिया।

कमजोर नियोजन के कारण 49 महीने व्यतीत होने के बाद भी कम्पनी के कम्प्यूटरीकरण का कार्य अपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप यथा विचारित ₹ 4.72 करोड़ की बचत करने के अवसर से कम्पनी वंचित रहा।

विविध

एफ0सी0आई0 के विरूद्ध जूट बोरियों के 431 वेल्स जिनका मूल्य ₹ 65.55 लाख था, का निपटारा एफ0सी0आई0 के द्वारा अंतिम दर का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण, जुलाई 2009 से लम्बित था।

2006–11 के दौरान चार डी0एल0ओ0 द्वारा अधिप्राप्त 4,58,156 जूट बोरियों के विरूद्ध केवल 1,72,526 (37.66 प्रतिशत) जूट बोरियों का ही उपयोग हुआ जो इंगित करता है कि जूट बोरियों की खरीद बिना उनकी आवश्यकता आकलन के किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 87.40 लाख का निधि अवरूद्ध रहा।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

वर्ष 2010–11 में कम्पनी द्वारा धान एवं गेहूँ अधिप्राप्ति के लक्ष्य प्राप्ति का स्तर 20 प्रतिशत से कम पर आ गया जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को अंशदान मार्जिन की हानि होने लगी। खरीद मौसम के आरंभ से पूर्व अधिप्राप्त केन्द्रों और किसानों की पहचान कर अधिप्राप्ति स्तर को सुधारने पर कम्पनी विचार कर सकती है।

कम्पनी के भण्डारण प्रबंध में सुधार की जरूरत है, क्योंकि अतिरिक्त भण्डार के निर्माण से अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन, अपने क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मती तथा प्रयोग, सहकारी समितियों के गोदामों को किराए पर लेने की शुरूआत समीक्षा अवधि में कारगर नहीं हुई। कम्पनी अतिरिक्त भण्डारण क्षमता की प्राप्ति के लिए अपने क्रियाकलाप को बढ़ा सकती है।

चूँकि परिवहन अभिकर्ताओं ने समय पर ट्रक उपलब्ध नहीं कराया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी आवंटित खाद्यान्न का उठाव नहीं कर सकी, इसलिए परिवहन अभिकर्ता प्रबन्धन पर कठोर नियंत्रण रखने की जरूरत है।

एक योजना से दूसरे योजना में अनाजों के विचलन का दृष्टान्त पाया गया, जिससे योजना के लाभान्वितों को लाभ से वंचित रहना पड़ा। कम्पनी उपयुक्त नियंत्रण प्रक्रिया स्थापित कर सकती है जहाँ ऐसे विचलनों को टाला जा सके तथा अपरिहार्य विचलन की स्थिति में, क्रिया–विधि ऐसी हो जो विचलित मात्रा की भरपाई कर सके ताकि लक्षित लाभान्वितों को लाभ पहुँच सके।

निरन्तर अंशदान मार्जिन का संशोधन नहीं होने तथा प्रतिपूर्ति दावा का समय पर उपस्थापन नहीं होने से कम्पनी को बकाया से वंचित रहना पड़ा। कम्पनी राज्य सरकार को मार्जिन में उपयुक्त संशोधन के लिए राजी कर सकती है ताकि परिचालन लागत की भरपाई हो सके तथा इसे वैध प्रमाणपत्रों के साथ ससमय अपने दावे प्रस्तुत करना चाहिए।

1990–91 से लेखाओं को तैयार नहीं किए जाने से कम्पनी के लोक उत्तरदायित्व में कमी आती है तथा इससे कपट की सम्भावना हो सकती है। कम्पनी को लेखाओं का अद्यतन करना सुनिश्चित करना चाहिए।

(अध्याय–II)

3. सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

'बिहार के ऊर्जा शक्ति वितरण उपयोगिताओं' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् है:

परिचय

विद्युत–शक्ति क्षेत्र की वितरण प्रणाली उत्पादन तथा उपभोक्ता के बीच अंतिम संबंध स्थापित करती है। 31 मार्च 2011 तक बोर्ड के पास 1.42 लाख सर्किट किलोमीटर (सी0के0एम0) लाईन, का 473 सब–स्टेशन एवं 43491 विभिन्न क्षमता वाले वितरण ट्रांसफॉर्मर का नेटवर्क था। वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) का आवर्त (टर्नओवर) ₹ 2409.69 करोड़ था, जो कि राज्य लोक क्षेत्र उपक्रम का आवर्त के 47.14 प्रतिशत तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 1.13 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2011 तक इसने 11651 कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया।

वितरण नेटवर्क योजना

समीक्षा अवधि के दौरान 291 सब–स्टेशन तथा 3062.7 एम0वी0ए0 क्षमता की आयोजित वृद्धि के विरूद्ध, वितरण प्रणाली में केवल 111 सब–स्टेशन तथा 1912.70 एम0वी0ए0 की वृद्धि हुई। वर्ष 2010–11 में अप्रभावी अंचल–वार योजना के कारण आयोजित परिणमन (प्लाण्ड ट्रांसफॉर्मेशन) क्षमता तथा प्रक्षिप्त सम्बद्ध (प्रोजेक्टेड कनेक्टेड) लोड में भारी अंतर आ गया।

अप्रभावी योजना

40 पी0एस0एस0 के निर्माण की योजना बनाने के साथ–साथ इसके संबद्ध लाईनों के निर्माण की योजना नहीं की गई थी। फलस्वरूप, ₹ 11.53 करोड़ के व्यय से निर्मित 40 पी0एस0एस0 में 12 पी0एस0एस0 को आवेशित नहीं किया जा सका तथा यह आठ महीनों से बेकार पड़ा रहा। इसके अतिरिक्त, अप्रभावी योजना के कारण जोड़ने वाली लाइनों के निर्माण की लागत में अनुमानित लागत से ₹ 4.80 करोड़ की वृद्धि हो गई।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन

ग्रामीण विद्युतीकरण

शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। 28140 लक्षित गाँवों में मार्च 2011 तक केवल 20573 गाँवों में विद्युतीकरण के आधारभूत संरचना का कार्य पूर्ण हुआ था। बिहार के आठ जिलों में, जहाँ बोर्ड कार्यकारी अभिकर्ता था, अक्टूबर 2011 तक विद्युतीकरण किए जाने वाले 4714 गाँवों में केवल 1920 गाँव का ही विद्युतीकरण हो सका। 27.62 लाख बी0पी0एल0 ग्रामीण घरों (आर0एच0एच0) में विद्युत उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध, केवल 18.18 लाख (65.83 प्रतिशत) ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण किया गया (सितम्बर 2011)।

संविदा प्रदान करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण परियोजना लागत में ₹ 103.69 करोड़ की वृद्धि हुई तथा आर0जी0जी0वी0वाई के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

3038 डी0टी0आर0 के संस्थापन में हुए ₹ 24.18 करोड़ की राशि का व्यय निष्फल हुआ, चूँकि अप्राधिकृत कनेक्शन को रोकने में बोर्ड की सुस्ती के कारण डी0टी0आर0 गारंटी अवधि में ही खराब हो गए।

ए0पी0डी0आर0पी0

भूमिगत तार बिछाने के कार्य के निष्पादन हेतु अधिनिर्णय प्रक्रिया का पालन किए बिना बोर्ड ने ए0पी0डी0आर0पी0 स्कीम का निष्पादन कार्य करने के लिए पी0जी0सी0आई0एल0 (परामर्शदाता) को मनोनीत किया। यदि बोर्ड ने स्कीम का कार्य स्वयं किया होता, तो बोर्ड को पर्यवेक्षण प्रभार के मद में ₹ 6.24 करोड़ की बचत हुई होती। पुनः परियोजना लागत के कम–प्राक्कलन के कारण बोर्ड ₹ 2.95 करोड़ के अनुदान प्राप्त करने के अवसर को खो दिया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के अकुशल अनुश्रवण एवं निम्नस्तरीय समन्वय के कारण परियोजना ₹ 65.69 करोड़ की लागत वृद्धि का शिकार हुई।

ऊर्जा लेखांकन द्वारा टी0 एण्ड डी0 हानि दूर करने हेतु बोर्ड ने सिस्टम मीटरिंग पर ₹ 69.21 करोड़ का व्यय किया। तथापि, संग्रहित आंकड़ो के विश्लेषण पर अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में, बोर्ड

परियोजना का अनुमानित लाभ नहीं ले सका।

पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर0ए0पी0डी0आर0पी0)

स्कीम के गतिविधियों के समकालन नहीं करने के कारण वर्ष 2009–11 के दौरान प्राप्त ₹ 68.37 करोड़ की कुल राशि में बोर्ड मार्च 2011 तक ₹ 12.31 करोड़ ही उपयोग कर सका।

निर्दिष्ट समय में आई0टी0 क्रियान्वयन एजेंसी को नियुक्त करने में बोर्ड की असफलता के कारण आई0टी0 समर्थित प्रणाली में नौ महीनों का विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, स्काडा/डी0एम0एस0 परियोजना में आई0टी0 परामर्शदाता का चयन सात महीनें विलम्ब के बाद हुआ। 15 माह विलम्ब के बाद परामर्शदाता ने अप्रैल 2011 में डी0पी0आर0 प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन पी0एफ0सी0 ने नवम्बर 2011 में किया। चूँकि डी0पी0आर0 के चयन एवं अनुमोदन में प्रारम्भिक विलम्ब था, निर्दिष्ट अवधि में परियोजना को पूर्ण करने तथा ऋण को अनुदान में परिवर्तन करने की संभावना कम थी।

बोर्ड द्वारा किसी भी वर्ष में उपभोक्ता मीटर संस्थापन करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। लक्ष्य के विरूद्ध संस्थापित मीटर की प्रतिशतता का परास निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 26.59 प्रतिशत से 36.6 प्रतिशत था।

प्रचालन क्षमता

अअनुसूचित विनिमय के अधीन विद्युत–शक्ति का आहरण के कारण वर्ष 2006–11 के दौरान दीर्घावधि विद्युत–शक्ति क्रय की लागत की तुलना में बोर्ड ने 1211.51 एम0यू0 पर ₹ 254.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड यू0आई0 प्रभार का भुगतान समय पर नहीं कर सका जिसके कारण वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान विलम्बित भुगतान पर ₹ 20.95 करोड़ के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

वर्ष 2008–09 की अवधि के अलावा, बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत बोर्ड टी0 एण्ड डी0 हानि को कम नहीं कर सका। वर्ष 2006–11 के दौरान 1768.66 एम0यू0 ऊर्जा की हानि हुई। इसके कारण बोर्ड को ₹ 638.55 करोड़ की राजस्व हानि सहनी पड़ी।

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान डी0टी0आर0 के खराबी की प्रतिशतता में वृद्धि हुई तथा इसका परास कुल संस्थापित डी0टी0आर0 के 10.40 तथा 17.46 प्रतिशत के बीच रहा। 120 डी0टी0आर0 गारंटी अवधि में खराब हो गए। इनमें से 112 डी0टी0आर0 दो दिन से लेकर 237 दिनों के विलम्ब के पश्चात् बदल दिया गया/मरम्मत किया गया। इसके अतिरिक्त, आठ डी0टी0आर0 पाँच माह से तीन वर्षों के विलम्ब के पश्चात् भी मरम्मत/बदले नहीं गए (दिसम्बर 2011)।

वितरण प्रणाली में कैपेसिटर बैंक का संस्थापन नहीं होने के कारण बोर्ड को 20.01 एम0यू0 की नियोजित ऊर्जा बचत नहीं हुई जिसकी कीमत ₹ 6.09 करोड़ था।

छापामारी दल द्वारा उपभोक्ताओं के संख्या की जाँच की प्रतिशतता निम्न थी तथा इसका परास 0.08 प्रतिशत से 0.24 प्रतिशत के बीच रहा।

विपत्रीकरण क्षमता

निष्पादन लेखा परीक्षा अवधि के दौरान विपत्रित किए गए ऊर्जा का परास विक्रय हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा का 56.36 से 61.95 प्रतिशत के बीच था। इसके अतिरिक्त, निर्धारित विक्रय मीटरगत विक्रय का 31.11 प्रतिशत से 42.04 प्रतिशत था।

ट्रांसफॉर्मर क्षमता के साक्षेप टैरिफ प्रावधानों के गलत अनुप्रयोग के कारण, बोर्ड को ₹ 4.84 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। एक एच0टी0एस0एस0 के मामले में न्यून निर्धारण तथा संविदा माँग के न्यून विपत्रीकरण के कारण भी बोर्ड को ₹ 2.45 करोड़ के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

राजस्व संग्रहण क्षमता

वर्ष के अंत में बकाया देय राशि का परास वर्ष 2006–07 में ₹ 5749.43 करोड़ तथा वर्ष 2010–11 में ₹ 5700.20 करोड़ के बीच रहा। बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन नहीं होने के फलस्वरूप ₹ 245.98 करोड़ तक के बकायों का अम्बार लग गया ।

वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

बोर्ड के संचित हानि में 281.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह वर्ष 2006–07 में ₹ 1524.71 करोड़ से 2010–11 में

₹ 5820.86 करोड़ हो गया। बोर्ड के हानि होने के मुख्य कारण उच्च दर पर विद्युत शक्ति का क्रय, ब्याज तथा वित्त प्रभार था।

बोर्ड का ऋण भी 52.29 प्रतिशत बढ़ गया तथा यह 2006–07 में ₹ 5577.62 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 8493.88 करोड़ हो गया। वर्ष 2010–11 के दौरान प्रति इकाई हानि वर्ष 2006–07 में ₹ 1.12 प्रति इकाई से बढ़कर ₹1.65 प्रति इकाई हो गया।

वित्तीय प्रबंधन

कुल राजस्व आवश्यकता दाखिल करना

ए0आर0आर0 दाखिल करने में हुई विलम्ब (80 से 399 दिन) के कारण वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान बोर्ड को ₹ 963.85 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

साहाय्य सहायता

राज्य सरकार से साहाय्य सहायता का परास 42.97 प्रतिशत से 56.43 प्रतिशत के बीच रहा। यह चिंताजनक था क्योंकि चरणबद्ध तरीके से एक समयावधि के बाद साहाय्य वापस लिया जा सकता था ताकि टैरिफ उपभोक्ताओं को विद्युत–आपूर्ति के औसत मूल्य को पूर्ण कर सके।

उपभोक्ता तुष्टीकरण

उपभोक्ता शिकायतों का निवारण

वर्ष 2008–11 की अवधि के दौरान लम्बित शिकायतों का परास 33000 से 52000 के बीच था। इस अवधि के दौरान कुल शिकायतों में से निवारण किए गए शिकायतों की प्रतिशतता का परास 15.74 प्रतिशत से 27.46 प्रतिशत के बीच रहा।

ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा लेखापरीक्षा

वर्ष 2006–11 के दौरान बोर्ड ने किसी ऊर्जा संरक्षण नीति का प्रतिपादन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा लेखापरीक्षा का आयोजन भी नहीं हो सका चूँकि शत प्रतिशत सिस्टम मीटरिंग नहीं हुआ था।

निष्कर्ष

बोर्ड को हानि मुख्यतः उच्च लागत पर विद्युत शक्ति का क्रय, ब्याज तथा वित्त प्रभारों के कारण हुई। बोर्ड ने विद्युत शक्ति क्रय का सही निर्धारण नहीं किया जिसके फलस्वरूप यू0आई0 के माध्यम से विद्युत शक्ति के निकास पर बोर्ड को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। विभिन्न स्कीमों एवं अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड ऋण पर निर्भर था। टी0 एण्ड डी0 हानि को कम कर तथा इसके प्रचालन, विपत्रीकरण एवं संग्रहण क्षमता में सुधार कर इसे घटाया जा सकता है। वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा उत्थान हेतु आरंभ किए गए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों तथा राज्य विशेष स्कीमों का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किया जाना चाहिए ताकि मितव्ययिता क्षमता एवं प्रभाव सुनिश्चित हो सके। बोर्ड ने ए0आर0आर0 भी समय पर समर्पित नहीं किया तथा प्रति साहाय्य देना भी मानकों से परे था।

अनुशंसाएँ

पूर्व लोड वृद्धि प्रवृति, वर्तमान लोड, तथा भविष्य में प्रक्षेपित लोड वृद्धि के आधार पर अतिरिक्त आधारभूत संरचना के सृजन हेतु योजना बनानी चाहिए ताकि प्रणाली समान रूप से समर्थ हो तथा सभी अंचलों में परिणमन (ट्रांसफॉर्मेशन) क्षमता तथा संबद्ध लोड के बीच की रिक्ति को घटाया जा सके।

समय एवं लागत वृद्धि से बचने के लिए प्रभावी संविदा प्रबंधन तथा परियोजनाओं एवं स्कीमों के निष्पादन का नियमित अनुश्रवण होना चाहिए।

बोर्ड को चरणबद्ध तरीके से टी0 एण्ड डी0 हानि कम करने के लिए प्रभावी उपाय क्रियान्वित करना चाहिए।

विपत्रीकरण प्रणाली में टैरिफ ऑडर का सही अनुप्रयोग सुनिश्चित होना चाहिए तथा बोर्ड को बकाया देय राशि की वसूली तथा संग्रहण में तत्पर रहना चाहिए।

बोर्ड को समय पर ए0आर0आर0 दाखिल करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि संशोधित टैरिफ के विलम्बित क्रियान्वयन के कारण हुई हानि को कम किया जा सके।

बोर्ड को सभी आपूर्ति अंचल में सिस्टम मीटर का संस्थापन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ऊर्जा लेखापरीक्षा आरंभ किया जा सके साथ ही बोर्ड को ऊर्जा संरक्षण से संबंधित जागृति अभियान की शुरूआत करनी चाहिए।

(अध्याय–III)

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, लोक उपक्रमों के प्रबंधन की कमियाँ, जिनके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ हुईं, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इंगित की गई अनियमितताएँ मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं :-

नियमों, दिशानिर्देशों, पद्धतियों, संविदाओं के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन न करने के कारण चार मामलों में ₹ 28.42 करोड़ की हानि/वसूली न होना।

(कंडिका 4.2, 4.4, 4.5, एवं 4.7)

अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण ₹ 21.32 करोड़ मूल्य की सम्पत्तियों का अतिक्रमण।

(कंडिका 4.6)

संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा नहीं करने के कारण चार मामलों में ₹ 8.98 करोड़ की हानि/ निष्फल व्यय।

(कंडिका 4.1, 4.3, 4.8, एवं 4.9)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षाओं का सारांश निम्न प्रकार है :

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को, ससमय अपने नाम से भूमि के पंजीकरण करवाने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 2.91 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 4.1)

बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड को, शैक्षणिक वर्ष एवं पाठ्यक्रम के संशोधन से पूर्व पाठ्य–पुस्तकों के ससमय आपूर्ति में कम्पनी की विफलता, ₹ 4.76 करोड़ के निष्फल व्यय में परिणत हुआ।

(कंडिका 4.3)

बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड द्वारा, ऋण अनुबन्धों के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन में विफल रहने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 15.08 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 4.4)

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड में लेबर सेस के लागू नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 8.19 करोड़ के अनुचित दायित्व का सृजन हुआ।

(कंडिका 4.5)

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के उल्लंघन में नौ सरकारी कम्पनियों ने भविष्य निधि में ₹ 4.15 करोड़ का अत्यधिक नियोक्ता अंशदान जमा किया।

(कंडिका 4.7)